उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश : सीईएन 02/2018 की शारीरिक दक्षता जांच

1. उम्मीदवार नीचे दिये गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें और रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व रेलवे की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विस्तृत अनुदेशों को देखें और उनका सावधानीपूर्वक अनुसरण करें। अनुदेशों का अनुपालन न करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
2. उम्मीदवारों को अनुदेश दिया जाता है कि वे वेबसाइट से **ई-बुलावा पत्र** को डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंटआउट (सामने एवं पीछे का पृष्ठ) को निकालें। **पीईटी** का बुलावा-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।
3. बुलावा-पत्र और ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवारों के महत्वपूर्ण विवरणों में कोई अंतर पाया जाता है तो उम्मीदवार वैध पहचान प्रमाण पत्र एवं सीबीटी बुलावा-पत्र के साथ

किसी भी स्थिति में पीईटी बुलावा-पत्र के लाइव होने के पाँच (05) दिनों के अंदर रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व रेलवे को रिपोर्ट करें।

4. उम्मीदवार अपना वैध **<u>फोटो पहचान-पत्र</u>** यथा मतदाता पहचान-पत्र/आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ और यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र आदि अपने साथ अवश्य लाएं। **पीईटी** में भाग लेने के लिए उम्मीदवार अपने साथ दो रंगीन फोटोग्राफ (35 एमएम X 45 एमएम), जैसा कि आवेदन फॉर्म में अपलोड किया गया था, अवश्य लाएं।

5. उम्मीदवार द्वारा यह **बुलावा-पत्र** एवं **वैध पहचान प्रमाण पत्र** प्रस्तुत किये जाने पर ही **पीईटी** केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह बुलावा-पत्र **पीईटी** में भाग लेने के लिए एक अनंतिम अनुमति मात्र है

और यह उम्मीदवार को पूर्व रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं देता है।

6. उम्मीदवार को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे **पीईटी** केन्द्र के स्थान का पता पहले ही लगा लें ताकि वे समय पर रिपोर्ट कर सकें।

7. उम्मीदवार को एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप पीईटी परीक्षा के लिए रेलवे भर्ती कक्ष/पूर्व रेलवे द्वारा निर्धारित उपर्युक्त तिथि, समय एवं स्थल पर उपस्थित हों। **पूर्व रेलवे ने** फैसला किया है कि अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए, जो अपनी निर्धारित तिथि और समय पर पीईटी में शामिल नहीं होंगे, कोई अतिरिक्त तारीख/अवसर नहीं दिया जाएगा।

8. शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) दो चरणों में है। प्रथम चरण में, उम्मीदवार की निर्धारित समय में निर्धारित दूरी पर वजन ढोने की जांच की जाएगी, और यदि इस जांच में सफल होते हैं तो

रिकॅवरी गैप के बाद दौड़ की जांच की जाएगी। प्रथम जांच अर्थात् वजन ढोने में विफल होने पर उसी चरण में उन्हें जांच प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जाएगा।

9. वजन ढोने की प्रक्रिया जांच में उम्मीदवार को कमर जितनी ऊँची बेंच/प्लेटफॉर्म से एक बालू से भरे थैला (बिना किसी हैंडल का) को उठाकर ढोना है, जिस भी तरीका से इसे ढोना चाहे, बशर्ते कि थैला जमीन से ऊपर हो और बालू के थैले को जमीन पर बिना रखे गंतव्य बिन्दु तक ढोकर ले जाना है।

10. पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए वजन एवं दूरी के मापदण्ड नीचे दिये गए हैं:-

पुरुष उम्मीदवार	**महिला उम्मीदवार**
(i) 35 कि.ग्रा. के वजन को उठाने एवं इसे बिना रखे एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में	(i) 20 कि.ग्रा. के वजन को उठाने एवं इसे बिना रखे एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में

पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।	पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
केवल उपर्युक्त (i) जांच प्रक्रिया में सफल होने पर ही	**केवल उपर्युक्त (i) जांच प्रक्रिया में सफल होने पर ही**
(ii) एक ही बार में 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकेण्ड में दौड़कर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।	(ii) एक ही बार में 1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकेण्ड में दौड़कर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

11. पीईटी की विडियोग्राफी की जाएगी और बायोमैट्रिक मिलान की जाएगी। आरएफआईडी तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीदवारों को पीईटी परीक्षा का एक ही अवसर दिया जाएगा।
12. दौड़ के लिए रिपोर्ट करने से पहले, उम्मीदवार पहले पंजीकरण काउन्टर पर स्वयं को पंजिकृत

करेंगे, घोषणपत्र फॉर्म भरेंगे और **बुलावा-पत्र के भाग-ए को विधिवत हस्ताक्षर कर सौंप देंगे**।

13. उम्मीदवार को **बीब** एवं **चीप्स** जारी किया जाएगा जिन्हें उम्मीदवार दौड़ के बाद **पीईटी** पदाधिकारियों को वापस कर देंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। उम्मीदवार अपने उपर्युक्त उल्लिखित मदों को जमा करने के बाद निकास पथ से बाहर निकल जाएंगे।

14. **पीईटी** केन्द्र में, पंजीकरण काउन्टर से आगे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी। एक बार उम्मीदवार **पीईटी** केन्द्र में प्रवेश कर जाते हैं तो जब तक उनकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. यद्यपि उम्मीदवारों को उसी दिन राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण,

अतिरिक्त दिनों के लिए रहने और उसी के लिए खर्च वहन करने के लिए तैयार रहें। उम्मीदवार, यदि आवश्यक हो, अपनी आवास/बोर्डिंग की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

16. प्रशासनिक जरूरत के मामले में, सभी/कुछ उम्मीदवारों के लिए **पीईटी** के केन्द्र/तिथि/समय में परिवर्तन किए जा सकते हैं। रेलवे भर्ती कक्ष के पास किसी भी स्तर पर अतिरिक्त **पीईटी** का आयोजन करने का अधिकार सुरक्षित है।

17. रेलवे भर्ती कक्ष के पास इस भर्ती प्रक्रिया की किसी हिस्से/संपूर्ण को, किसी भी श्रेणी के लिए, किसी भी स्तर पर उसका बिना किसी कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

18. पीईटी के संबंध में विवाद के मामले में, आरआरसी ईआर का निर्णय पीईटी उम्मीदवारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

19. आगे, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीईटी जांच प्रक्रिया आरंभ होने के तुरंत पहले किसी तरह का भोजन न करें। **पीईटी** के दौरान किसी भी तरह की आपातकालीन स्वास्थ्य की स्थिति/चोटिल होने के लिए प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा।

20. उम्मीदवार **पीईटी** केन्द्र पर रेलवे पदाधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि पीईटी को सुगमतापूर्वक आयोजन करने के लिए पीईटी के दौरान अनुशासन बनाए रखें। पीईटी में कदाचार / अनुशासनहीनता उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा और भविष्य में होने वाली रेलवे की सभी भर्तियों में उन्हें भाग लेने से रोक दिया जाएगा। उम्मीदवार कानून के तहत दण्ड के भी उत्तरदायी होंगे।

21. रेलवे भर्ती कक्ष इस बुलावा-पत्र के अनुदेशों में किसी भी तरह के अपनिर्वचन हेतु जिम्मेवार नहीं है। इस बुलावा-पत्र में भूलवश हुई किसी गलती को, जो रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देश के विपरीत हो, लागू नहीं माना जाएगा। व्याख्या में किसी भी तरह के विरोधाभास की स्थिति में, इस बुलावा-पत्र का अंग्रेजी वर्जन को ही अंतिम माना जाएगा।

....